अपील सूचना अधिकार संख्या 31/2018 (RCMS 2018/00084) हरपाल सिंह सुधन, अधिवक्ता रायसिंहनगर बनाम तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.06.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी हरपाल सिंह सुधन एवं अप्रार्थी स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, तो पाया अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के नाम सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 27.02.2018 को प्रस्तुत किया, जिसकी वांछित सूचना उपखण्ड अधिकारी, विजयनगर से सम्बन्धित होने के कारण, उनके द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के पत्र दिनांक 05.03.2018 के संदर्भ में सूचनाओं का सम्बन्धत तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर से होने के कारण अपने दिनांक 22.03.2018 के द्वारा तहसीलदार, विजयनगर को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवाया गया। तहसीलदार, विजयनगर के पत्रांक दिनांक 22.03.2018 के विरूद्ध अपील पेश की है। तहसीलदार, विजयनगर द्वारा निश्चित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने के कारण उसके खिलाफ कार्यवाही की की जावे एवं दिनांक 21.04.2018 से सूचना जारी करने की तिथि तक प्रत्येक दिन के लिए 250/– शास्ति अधिरोपित किए जाने के आदेश पारित किए जाए।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा निम्न सूचनाएं चाही गई थी :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> प्रार्थी की माता सुरेन्द्र कौर को दिनांक 18.04.1988 को ग्राम पंचायत, जैतसर तहसील विजयनगर से अहाता संख्या 14, ई ब्लॉक् का ½ हिस्सा 23½ X 50 फुट पश्चिमी पासा ग्राम जैससर से आवंटित है, जो प्रार्थी को विरासतन मिला हुआ है। ग्राम पंचायत जैतसर की तस्दीक एसपी 1 दिनांक 01.08.2008 के अनुसार यह प्लॉट पंचायत रिकॉर्ड में रामकिशन पुत्र रामकरण सुथार के नाम से रेवेन्यू विभाग द्वारा निःशुल्क अलॉट हैं। अतः प्रार्थी को यह बताया जाए कि यह अहाता क्या राजस्व विभाग द्वारा रामकिशन को निःशुल्क आवंटित किया गया है? यदि हाँ तो प्रार्थी को आवंटन अधिकारी का पद नाम, पत्रावली संख्या, अनवान व निर्णय दिनांक बताया जाए तथा यह बताया जाए कि इस पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को किस अधिकारी से प्राप्त हो सकती है।

उक्त सूचनाओं का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, विजयनगर से होने के कारण उनके द्वारा जिला लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 300 दिनांक 05.03.2018 से प्राप्त प्रार्थना पत्र को तहसीलदार, विजयनगर को प्रेषित करते हुए, अपीलार्थी को पत्र दिनांक 2233–35 दिनांक 22.03.2018 से सूचित किया। तहसीलदार, विजयनगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र क्रमांक 2232 दिनांक 22.03.2018 से प्राप्त के संदर्भ में अपीलार्थी को जरिए पत्र संख्या 205 दिनांक 12.04.2018 से समयावधि 30 दिवस के भीतर निम्न प्रकार से सूचित किया है :

सा/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना अवासीय भूमि से सम्बन्धित अभिलेख चाहा गया है जो कि कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण आपका प्रार्थना खारिज किया जाता है। आप चाहे तो उक्त जवाब के विरूद्ध 30 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी, श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश कर सकते है।
>
> तहसीलदार (राजस्व)
> श्रीविजयनगर

दिनांक 01.08.2008 ग्राम पंचायत जैतसर, तहसील विजयनगर द्वारा अपीलार्थी को सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किसी प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उक्त अहाता संख्या 14 के सम्बन्ध में सूचना दी गई है, जिसके अनुसार सूचना से सम्बन्धित अभिलेख रेवन्यु विभाग के पास उपलब्ध होना बताया गया है और उक्त अहाता ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड से रामकिशन पुत्र रामकरण सुथार को निःशुल्क आवंटित है तथा रेवेन्यु विभाग द्वार आवंटन किया हुआ है, बताया है।

उक्त पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह आवंटन किस राजस्व अधिकारी द्वारा किया गया है। चूंकि ग्राम पंचायत सचिव, जैतसर के पत्र दिनांक 01.08.2008 के अनुसार उक्त अहाता का आवंटन राजस्व विभाग द्वारा किया गया है, इसलिए तहसीलदार, विजयनगर को उक्त प्रतिवेदन दिनांक 01.08.2018 को ध्यान में रखकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, विजयानगर को इस निर्देश के साथ मामला रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनकर और सचिव, ग्राम पंचायत, जैतसर के प्रतिवेदन 01.04.2008 को ध्यान में रखकर, सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार सूचनाओं के सम्बन्ध में निर्णय किया जावे। सचिव, ग्राम पंचायत जैतसर का प्रतिवेदन दिनांक 01.04.2008 एवं आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), विजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर